

**प्रेस विज्ञप्ति**  
**जनपद बस्ती**  
**दिनांक 04.12.2025**

**थाना छावनी पुलिस द्वारा गैंग बनाकर वाहनो से डीजल चोरी करने वाले गैंगस्टर एक्ट के चार अन्तर्जनपदीय  
अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-**

थाना छावनी पुलिस द्वारा गैंग बनाकर वाहनो से डीजल चोरी करने वाले गैंगस्टर एक्ट के चार अन्तर्जनपदीय अभियुक्तों यथा क्रमशः 1. मिन्टू उर्फ दिवेन्द्र शेखर पुत्र राज कुमार शर्मा 2. राकेश कुमार गुप्ता पुत्र मखौड़ी गुप्ता 3. अतुल पटेल पुत्र रुकुमकेश वर्मा 4. अतुल वर्मा पुत्र रामजी वर्मा को भिन्न-भिन्न स्थानों से गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना छावनी पुलिस द्वारा पंजीकृत मु0अ0सं0 287/2025 धारा 3(1) 30प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 में उक्त अभियुक्तगण वांछित थे। गिरफ्तारी करने वाली टीम को 25 हजार इनाम की घोषणा की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

1. मिन्टू उर्फ दिवेन्द्र शेखर पुत्र राज कुमार शर्मा निवासी भटपुरवा थाना भीटी जनपद अम्बेडकर नगर (उ0प्र0)।
2. राकेश कुमार गुप्ता पुत्र मखौड़ी गुप्ता सा० नगराबदली थाना छावनी जनपद बस्ती (उ0प्र0)।
3. अतुल पटेल पुत्र रुकुमकेश वर्मा सा० सारंगपुर बलिनाव थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकर नगर (उ0प्र0)।
4. अतुल वर्मा पुत्र रामजी वर्मा सा० आनापुर सैरेया थाना गोसाईंगंज जनपद अयोध्या (उ0प्र0)।

**अभियुक्तों द्वारा पूर्व में की गई घटना का विवरण-**

थानाध्यक्ष छावनी जनार्दन प्रसाद मय टीम द्वारा गैंग लीडर 1. अंकुर पाण्डेय पुत्र सुरेश पाण्डेय निवासी मुस्तफाबाद थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकर नगर ने अपने सह अभियुक्त सदस्य 2. प्रिंस वर्मा पुत्र जिलाजीत वर्मा निवासी गनेशपुर बेशौरा थाना गोसाईंगंज जनपद अयोध्या, 3. मिन्टू उर्फ दिवेन्द्र शेखर पुत्र राज कुमार शर्मा निवासी भटपुरवा थाना भीटी जनपद अम्बेडकर नगर, 4. भीम पाण्डेय पुत्र शीतल पाण्डेय निवासी मुस्तफाबाद थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकर नगर, 5. राकेश कुमार गुप्ता पुत्र मखौड़ी गुप्ता सा० नगराबदली थाना छावनी जनपद बस्ती, 6. अतुल पटेल पुत्र रुकुमकेश वर्मा सा० सारंगपुर बलिनाव थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकर नगर, 7. अतुल वर्मा पुत्र रामजी वर्मा सा० आनापुर सैरेया थाना गोसाईंगंज जनपद अयोध्या के साथ मिलकर एक-संगठित अपराधिक गिरोह कायम किया है जो अन्तर जनपदीय स्तर पर सक्रीय है। जनपद बस्ती के अतिरिक्त अन्य जनपदों में भी अभियुक्तगण के विरुद्ध आपराधित प्रकरण दर्ज हैं। यह गिरोह अपने गिरोह के सदस्यों के आर्थिक भौतिक एवं दुनियाबी लाभहेतु चोरी वाहनों से डीजल चोरी जैसे जघन्य अपराध कारित करते हैं। इस गिरोह द्वारा दिनांक 22.01.2025 को पुलिस द्वारा 1350 लीटर डीजल चोरी के सात ड्रम, 30 लीटर के 9 गैलन जिसमें डीजल भरा हुआ था एक अदद पिलास, 2 अदद पेचकस, एक अदद सलाई रिंच, एक अदद सिफ्ट डिजायर कार वाहन संख्या UP51 DR 5944 बरामद किया गया है। विवेचना से अभियुक्तगण के विरुद्ध जुर्म धारा 317 (2), 317 (5) BNS आरोप पत्र संख्या A-1 दिनांक 4.2.25 को 1 से 6 तक तथा A-2 दिनांक 29.3.2025 को न्यायालय प्रेषित किया गया है। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण 1. अंकुर पाण्डेय, 2. प्रिंस वर्मा, 3. मिन्टू उर्फ दिवेन्द्र शेखर शर्मा, 4. भीम पाण्डेय पता उपरोक्त के कब्जे से दुकान के सामने खड़ी ट्रक से करीब 165 लीटर डीजल चोरी का बरामदगी की गयी है। गैंग चार्ट में दर्शाये गये सभी अपराधों में अभियुक्तगणों के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्तों द्वारा घूम घूम कर आर्थिक, भौतिक, दुनियाबी लाभ के लिये भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 17 में वर्णित / दर्शाये गये अपराध करने का अभ्यस्त अपराधी है जिनके विरुद्ध थाना छावनी पर मु0अ0सं0 287/2025 धारा 3(1) 30प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 बनाम 07 अभियुक्त पंजीकृत किया गया है।

**गिरफ्तार अभियुक्तों/हिस्ट्रीशीटर का आपराधिक इतिहास-**

अभियुक्तों मिन्टू उर्फ दिवेन्द्र शेखर।

1. मु0अ0सं0 21/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना छावनी, जनपद बस्ती।
2. मु0अ0सं0 24/2025 धारा 317(2), 317(5) बीएनएस थाना छावनी, जनपद बस्ती।

अभियुक्त राकेश कुमार गुप्ता, अतुल पटेल एवं अतुल वर्मा)।

1. मु0अ0सं0 24/2025 धारा 317(2), 317(5) बीएनएस थाना छावनी, जनपद बस्ती।

### गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष छावनी जनार्दन प्रसाद, जनपद बस्ती।
2. प्रभारी सर्विलांस सेल उ0नि0 शेषनाथ यादव, जनपद बस्ती।
3. व0उ0नि0 छावनी सत्येन्द्र यादव, उ0नि0 सभाजीत मिश्र, उ0नि0 शोभा यादव, प्र0चौकी विक्रमजोत उ0नि0 शशिशेखर सिंह, थाना छावनी, जनपद बस्ती।
4. हे0का0 देवेश यादव, सर्विलांस सेल जनपद बस्ती।
5. हे0का0 श्याचन घर दुबे, का0 करमजीत यादव, का0 संगम सिंह, का0 चन्द्रप्रकाश मिश्र, का0 विरेन्द्र कुमार, का0 अजीत यादव, का0 चन्द्रकेश प्रजापति, थाना छावनी जनपद बस्ती।

